


1310-23 पत्रावली, प्राचीन द्वारा प्रस्तुत प्राम  
 पत्र के आधार पर पेशी में ली गई। प्राचीन  
 द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र के अनुसार प्राचीन  
 का अप्राचीन से राजीनामा हो जाने के  
 कारण वह पत्र इसी स्तर पर खारिज  
 किया जा चुका हो अतः इस प्राचीन पत्र  
 का अब कोई 'अचिंत्य बली' रह जाता

प्राचीन

है। अतः यह प्रमाणपत्र इसी  
स्तर पर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली बाद तरीक तकनीक  
दोकर दखिल दफतर है।

निर्णय लिखाया जाकर युक्त  
न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अभिषेक विश्वास)  
R. 10/10  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना